बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

ज्ञापांक 5/25525 / पटना, दिनांक 29/01/2026

ग्रा0वि0-6-बजट/05-04/2025

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-42 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2515 के तहत "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड" अंतर्गत द्वितीय अनुपूरक आगणन के उपरान्त उपलब्ध राशि रू0 10800.00 लाख (एक सौ आठ करोड़) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।**

आदेश :- स्वीकृत ।

संकुल स्तरीय प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम,1935 के अधीन राज्य स्तर पर "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड", पटना का गठन, इसकी उपविधियाँ एवं निबंधन की स्वीकृति विभागीय संकल्प सं0-4092974 दिनांक-19.05.2025 द्वारा प्रदान की गयी है, जिसे जीविका निधि के नाम से भी जाना जाएगा । इसे दिनांक-16.05.2025 को राज्य मंत्री परिषद् की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. सामुदायिक संगठनों से जुड़े परिवारों की संख्या व्यापक होने तथा सदस्यों के जीविकोपार्जन संवर्धन संबंधित वित्तीय जरूरतों की पूर्ति करने हेतु राज्य स्तर पर एक विशिष्ट सहकारी साख संस्थान के रूप में "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड", पटना का गठन किया गया है ।

3. बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना (जीविका निधि) के द्वारा समूह सदस्यों को प्रारंभिक रूप से लगभग 12% वार्षिक ब्याज दर पर पूंजीगत ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। इससे सदस्यों को ज्यादा ब्याज दर पर उपलब्ध होने वाले पूंजी से छुटकारा दिलाने में सफलता मिलेगी। साथ ही बैंक के माध्यम से उपलब्ध होने वाले ऋण में विलंब को भी दूर करने मे यह वित्तीय संस्थान सहायक सिद्ध होगा। इस वित्तीय संस्थान का प्रबंधन महिलाओं की भागीदारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, जो महिला सशक्तीकरण को सुदृढ़ करेगा। इस संस्थान के माध्यम से विभिन्न वित्तीय सेवाओं (बचत, ऋण, बीमा आदि) को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध करवाने में सुविधा होगी। विशिष्ट वित्तीय संस्थान की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच ऋण प्रवाह को सुगम बनायेगी । इस संस्थान के गठन से वैकल्पिक वित्तीय श्रोत की उपलब्धता होगी, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं पर निर्भरता में कमी आयेगी तथा आवश्यकतानुसार इसके सदस्यों के लिए उद्यम (व्यवसाय) हेतु वित्त पोषण सहित अन्य ऋण उत्पाद विकसित किए जा सकेंगे, जो वर्तमान में उन्हें उपलब्ध नहीं है । समुदाय के बीच बड़े राशि वाले ऋण की मांग की ससमय पूर्ति होगी, साथ ही साथ समय पर वित्तीय सहायता की उपलब्धता संभव हो सकेगी एवं सामुदायिक निधि के वैश्वासिक जोखिम (fiduciary risk) से बचाने में सहायता प्राप्त होगी।

4. "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड" के सफल संचालन हेतु कुल राशि रू0 1820.00 करोड़ उपलब्ध कराया जाना है । इसमें संकुल स्तरीय संघ से अंशपुंजी के रूप में 400.00 करोड़, दीर्घकालिक जमा के रूप में 160.00 करोड़ एवं स्वयं सहायता समूहों और ग्राम संगठन से जमा एवं बचत संग्रहण के रूप में 150.00 करोड़ अर्थात कुल राशि रू0 710.00 करोड़ उपलब्ध कराया जाना है । बिहार सरकार द्वारा अनुदान के रूप में (अंशपुंजी, कार्यशील पुंजी एवं पूर्व परिचालन व्यय के लिए) कुल राशि रू0 1000.00 करोड़ उपलब्ध कराया जाना है । राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

(NRLM) से अनुदान के रूप में (स्थापना एवं कार्यशील पुंजी के लिए) राशि रू0 110.00 करोड़ उपलब्ध कराया जाना है ।

5. वित्तीय वर्ष 2025-26 में "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड" हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अंश पूंजी (Share Capital), अनुदान एवं स्थापना व्यय के लिए मांग सं0-42 के अंतर्गत कुल राशि रू0 36300.00 लाख (तीन अरब तिरसठ करोड़) का कुल संशोधित बजट उपबंध किया गया है ।

6. इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-42 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2515 के तहत "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड" अंतर्गत द्वितीय अनुपूरक आगणन के उपरान्त उपलब्ध राशि रू0 10800.00 लाख (एक सौ आठ करोड़) का उपबंध किया गया है, जिसकी विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	विपत्र कोड (विषय शीर्ष सहित)	स्वीकृत राशि
1	2	3
1	मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-102- सामुदायिक विकास, उप शीर्ष-0120-बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लि0, विपत्र कोड-42-2515001020120 विस्तृत शीर्ष- 31-सहायता अनुदान एवं वस्तुगत शीर्ष-06- सहायक अनुदान गैर वेतन ।	10000.00
2	मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-001- निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-0011-बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लि0, विपत्र कोड-42-2515000010011 विस्तृत शीर्ष- 31-सहायता अनुदान एवं वस्तुगत शीर्ष-04- सहायक अनुदान वेतन ।	800.00
	कुल :-	**10800.00 लाख (एक सौ आठ करोड़)**

7. वित्तीय वर्ष 2025-26 में "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड" योजना अंतर्गत कुल स्वीकृत राशि रू0 10800.00 लाख (एक सौ आठ करोड़) की निकासी विभागीय मांग संख्या-42 अंतर्गत उपरोक्त सारणी के कॉलम-2 में अंकित बजट शीर्षो के अंतर्गत पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर की जायेगी ।

8. (i) स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होगें तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी ।

(ii) अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना स्वीकृत राशि की निकासी कर "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड" Axis Bank Ltd. Patna, Account No.- 925010038028923, IFSC Code- UTIB0000142, प्रधान शाखा (एस.पी.वर्मा रोड़,पटना) में जमा कर देंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना इस राशि की निकासी कर व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना एवं इस विभाग को उपलब्ध कराऐंगे।

9. बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड को प्राप्त होने वाली राशि का वैधानिक अंकेक्षण एवं महालेखाकार अंकेक्षण ससमय महालेखाकार, बिहार से कराना सुनिश्चित किया जायेगा ।

10. वित्त विभाग के पत्र सं0-7355 वि.(टि.) दिनांक-05.10.07 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

11. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लि0, पटना के मांग पत्र पत्रांक-BRLPS/Proj-FI-CF/2541/25/15 दिनांक-04.11.2025 के आलोक में नियमानुसार व्यय हेतु स्वीकृति दी जा रही है ।

12. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक-17.04.1998 में निहित निदेश के आलोक में राशि व्यय की जायेगी ।

13. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- ग्रा0वि0-6-बजट/05-04/2025 के टिप्पणी पृष्ठ सं0--25-/टि0 पर दिनांक--15.01.2026 को प्राप्त है ।

14. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं देय सहायक अनुदान विमुक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकार (प्रशासी विभाग)/माननीय मंत्री का अनुमोदन संचिका सं0- ग्रा0वि0-6-बजट/05-04/2025 के टिप्पणी पृष्ठ सं0---25-/टि0 पर दिनांक--27.01.2026 को प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 29/1/26

(रवि कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5/25525 पटना, दिनांक 29/01/2026

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 29/1/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5/25525 पटना, दिनांक 29/01/2026

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS–सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना / अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /लेखा शाखा/ आई0टी0मैनेजर को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 29/1/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5/25525 पटना, दिनांक 29/01/2026

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के वरीय प्रधान आप्त सचिव/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 29/1/26

सरकार के संयुक्त सचिव